(1)

11614

17 APR 2018

Date

137

ASHOK KUMAR MANTRI
INDORE
Commissioner of Oaths for High Court

BEFORE THE HON'BLE COURT OF BOARD OF REVENUE, GWALIOR(CIRCUIT SEATING AT INDORE)

PBR/ पुनर्विलोकन/ इंदौर/ भू.रा/2018/2503

Review Case No. /2018

Date of Presentation :- 17.04.2018

Applicant……..

Babu Singh S/o Shri Kalu Singh Rajput, Aged 57 years, Occupation Faramer, R/o Village Songir, Tehsil Hatod, District Indore.

आवेदक अभिभाषक
श्री प्रमोद सी. नायर
द्वारा आज दिनांक 17-4-18
को इंदौर कैम्प में प्रस्तुत
(हाइकोर्ट के पालन में)
17-4-18

17/4/18

Vs.

1. Kalyan Singh S/o Sardar Singh, Aged Adult, Occupation Farmer, **R/o Village Songir, Tehsil Hatod, District Indore.**

2. Gajraj Singh S/o Sardar Singh, Aged Adult, Occupation Farmer, **R/o Village Songir, Tehsil Hatod, District Indore.**

Non-Applicants….

APPLICATION FOR REVIEW UNDER SECTION 51 OF M.P. L.R.C 1959 READ WITH ORDER XLVII 1(c)151 of C.P.C FOR RECONSIDERATION OF ORDER DATED 10.02.2015.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/रिव्यु/इंदौर/भूरा/18/2503**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-9-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रमोद नायर को रिव्यु प्रकरण में सुना गया। उनका तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश दि.10-2-2015 पारित करते समय इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा जिस प्रकरण क्रमांक 7/ए/08 में अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16-1-2009 को जारी की गई थी वह प्रकरण ही दिनांक 6-9-2013 को निरस्त हो चुका होने से इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव में ही नहीं थी । अभिलेख के अवलोकन से आवेदक के इस तर्क की पुष्टि होती है कि इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10-2-2015 पारित करते समय उक्त तथ्य को नहीं देखा गया है । उक्त प्रकाश में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10-2-2015 रिव्यु में लेकर निरस्त किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 3699-दो/2013 पुन: सुनवाई के लिये नियत किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	